पदीउअसप शिविर ग्राम पंचायत भनीण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान छगन सिंह चौहान बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – 154 /2025
निर्णय दिनांक 25/06/2025

छगन सिंह चौहान पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी दुलेरी तहसील तारानगर जिला चूरू
प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा दुलेरी पटवार हल्का झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर के खाता संख्या 116 खसरा सं. 344/128 तादादी 2.2761 हैक्ट. खाता संख्या 76 के खसरा सं. 162 तादादी 0.7081 हैक्ट., खसरा नं. 175 तादादी 1.8558 हैक्ट., खसरा नं. 18 तादादी 3.3003 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त खसराजात की जमाबंदी रोही मौजा दुलेरी पटवार हल्का झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर में इंतकाल के समय राजस्व कर्मचारियों की भूलवश व कम्प्युटर टाईप गलती से वर्तमान राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी का नाम छगनसिंह पुत्र मेघसिंह दर्ज हो गया, जो गलत है। जिसका पता प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में से जमाबंदी निकलवाने पर हुआ। जबकि प्रार्थी का अन्य दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पैन कार्ड में सही नाम छगन सिंह चौहान पुत्र मेघसिंह है। प्रार्थी का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी उक्त कृषिभूमि पर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा दुलेरी पटवार हल्का झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर के खाता संख्या 116 खसरा सं. 344/128 तादादी 2.2761 हैक्ट. खाता संख्या 76 के खसरा सं. 162 तादादी 0.7081 हैक्ट., खसरा नं. 175 तादादी 1.8558 हैक्ट., खसरा नं. 18 तादादी 3.3003 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम छगन सिंह चौहान पुत्र मेघसिंह किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर ग्राम पंचायत भनीण में पत्रावली पेशी में ली गई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम छगन सिंह चौहान पुत्र मेघसिंह व छगनसिंह पुत्र मेघसिंह दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रार्थी के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पैन कार्ड में प्रार्थी का नाम छगन सिंह चौहान पुत्र मेघसिंह पाया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पैन काड में प्रार्थी का नाम छगन सिंह चौहान पुत्र मेघसिंह पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम छगनसिंह पुत्र मेघसिंह अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि दुलेरी पटवार हल्का झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर के खाता संख्या 116 खसरा सं. 344/12[illegible] तादादी 2.2761 हैक्ट. खाता संख्या 76 के खसरा सं. 162 तादादी 0.7081 हैक्ट., खसरा नं. 175 तादादी 1.8558 हैक्ट., खसरा नं. 18 तादादी 3.3003 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम **छगनसिंह Delete** कर इसके स्थान पर **छगन सिंह चौहान** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/6/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)